

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-98/2017/5564/पांच-8-2017-जी0(305)/2017
लखनऊ : दिनांक 29 नवम्बर, 2017

कार्यालय-जाप

शासन के कार्यालय जाप संख्या-92/2017/4765/पांच-8-2017-जी0(305)/2017, दिनांक 07-11-2017 के प्रस्तर-2 पर चिकित्सक डा0 सुरभि सिंह, चिकित्साधिकारी को ई0एम0ओ0 जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर को जिला चिकित्सालय, पीलीभीत में तैनात किया गया था। उक्त आदेश में चिकित्सक की विशेषज्ञता त्रुटिवश अंकित नहीं की गयी थी, जबकि डा0 सुरभि सिंह की विशेषज्ञता एम0एस0(नेत्र रोग विशेषज्ञ) है।

2- अतएव उक्त कार्यालय जाप दिनांक 07-11-2017 के प्रस्तर-2 में एम0बी0बी0एस0 के साथ ही विशेषज्ञता एम0एस0(नेत्र रोग विशेषज्ञ) अंकित करते हुए ई0एम0ओ0 जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर को जिला चिकित्सालय, पीलीभीत में इनकी तैनाती नेत्ररोग विशेषज्ञ के पद पर की गयी है।

कार्यालय जाप दिनांक 07-11-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

शिवगोपाल सिंह
अनु सचिव।

संख्या-98/2017/5564(1)/पांच-8-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर।
- 8- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पीलीभीत।
- 9- कोषाधिकारी, शाहजहांपुर/पीलीभीत ।
- 10- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।